

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

रामेश्वर नारायण
श्री. हरिलाल मल्होत्रा
ग्राम: रामेश्वरकीडा

आदेश पत्रक ता. से तक

जिला हजारी बाग मं. सन् 20

केस का प्रकार दाखिल खासि जाह को 1/12-18

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

28/6/12

श्री/श्रीमती रामेश्वर नारायण
 पिता/पति श्री श्री. हरिलाल मल्होत्रा
 ग्राम रामेश्वरकीडा थाना दाह
 जिला हजारी बाग ने निम्नांकित भूमि का दाखिल
 खासिज हेतु आवेदन पत्र दिये हैं।

जमीन का विवरण

मौजा	थाना	खाता	प्लॉट	रकबा
	नं०	नं०	नं०	
<u>कोय</u>	<u>197</u>	<u>6</u>	<u>504</u>	<u>0.41</u>

आवेदन-पत्र पर हल्का कर्मचारी से अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन मांगे। आम इश्तेहार निर्गत करें।

अभिलेख दिनांक 1.6/2.1.12 को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी
दाह

10/7/12

हल्का कर्मचारी ने अनि के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है।

अभिलेख उपस्थापित आम इश्तेहार का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी तरह का आपत्ति दाखिल नहीं किया गया। हल्का कर्मचारी, अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशांसा से ज्ञात होता है कि आवेदित भूमि सर्वे में रामेश्वर है। पंजी ॥ २८

आदेश की क्रम
सं० और
तारीख
1

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
2

के बार में टिप्पणा ताराख
सहित
3

विक्रेता ने अपने हक व हिस्से की जमीन बिक्री किये
हैं जिसपर क्रेता का दखल है ।

अतः उपर्युक्त तथ्यों एक ह० कर्म/आ०नि० के जाँच
प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर आवेदित

मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा
कोय	197	6	506	0.41

का दखिल खारिज
किया जाता है शुद्धि पत्र निर्गत करें ।

अंचल अधिकारी

सबर दाह

पुनः शुद्धि पत्र निर्गत किया गया ह० कर्म० को आदेश
दिया जाता है कि पंजी ॥ में आवश्यक शुद्धिकरण के पश्चात्
दिनांक तक
अनुपालन प्रतिवेदन दें ।

अंचल अधिकारी

सबर

हल्का कर्मचारी ने पंजी ॥ के पृष्ठ सं०
भौलूम में जमाबन्दी कायम कर दिया है ।

अतः अभिलेख को कार्रवाई समाप्त की जाती है ।

अंचल अधिकारी